



प्रेस नोट 01.03.2023

थाना नानौता पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कार्यवाही करते हुए थानाध्यक्ष श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में थाना नानौता पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों 1. सोहनबीर पुत्र सुखबीर 2. राजीव कुमार पुत्र सोहनबीर नि०गण टिकरौल थाना नानौता जनपद सहारनपुर सम्बन्धित वाद सं० 2130/22 धारा 380,323,504,506 भादवि थाना नानौता मा० न्यायालय अपर सिविल जज (जू०/डि०वि०) जे०एम० देवबन्द सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया। वारंटियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही कर मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

वारंटी का नाम व पता:-

1. सोहनबीर पुत्र सुखबीर नि०ग्राम टिकरौल थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. राजीव कुमार पुत्र सोहनबीर नि०ग्राम टिकरौल थाना नानौता जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी:-

1. थानाध्यक्ष चन्द्रसैन सैनी थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. उ०नि० श्री मुकेश कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. का० 609 विपिन कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर
4. का० 398 नरदवे थाना नानौता जनपद सहारनपुर



दिनांक: 01-03-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस ने अनुसूचित जाति के लोगो पर जातिगत टिप्पणी करके वीडियो वायरल करने वाले 01 वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल व 01 मोबाइल फोन बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 09.02.2023 को अनिल रावण भीम आर्मी (अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष रामपुर मनिहारन) द्वारा थाना नानौता पर तहरीरी सूचना दी थी कि रजनीश उर्फ रज्जी पुत्र यशपाल निवासी ग्राम सोना अर्जुनपुर थाना नानौता जनपद सहारनपुर द्वारा सोशल मीडिया पर SC समाज पर अभद्र टिप्पणी करके वीडियो वायरल की गयी है। जिसमे अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के खिलाफ जाति सूचक शब्दों व अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है जिससे SC समाज के लोगो में रोष है व उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। थाना प्रभारी नानौता द्वारा उक्त सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना नानौता पर मु0अ0स0 22/2023 धारा 153A/504 IPC व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)5 क SC-ST ACT पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी गंगोह महोदय के सुपुर्द हुई।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन एव पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निकट पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के कुशल नेतृत्व में थाना नानौता पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **रजनीश उर्फ रज्जी पुत्र यशपाल निवासी ग्राम सोना अर्जुनपुर थाना नानौता जनपद सहारनपुर** को फर्जी नम्बर प्लेट लगी चोरी की 01 स्पलेंडर प्लस मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना नानौता पर मु0अ0स0 35/2023 धारा 414/420/465 भादवि पंजीकृत किया गया तथा मु0अ0स0 22/2023 से सम्बन्धित 01 मोबाइल फोन सैमसंग गैलेक्सी-ए-13 बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त का नाम व पता:-

1. रजनीश उर्फ रज्जी पुत्र यशपाल निवासी ग्राम सोना अर्जुनपुर थाना नानौता जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

1. 01 मोटरसाइकिल (स्पलेंडर प्लस)
2. 01 मोबाइल फोन (सैमसंग गैलेक्सी-ए-13)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी:-

5. थानाध्यक्ष चन्द्रसैन सैनी थाना नानौता जनपद सहारनपुर
6. उ0नि0 श्री कृष्ण कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर
7. है0का0 829 सुमित कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर
8. का0 398 नरदवे थाना नानौता जनपद सहारनपुर



प्रेस नोट – दिनांक 01.03.2023

थाना तीतरो, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया ।

सादर अवगत कराना है कि श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह तथा प्रभारी निरीक्षक तीतरों के कुशल नेतृत्व में 02 वारण्टी अभियुक्तों 1. राजेन्द्र पुत्र अतर सिंह निवासी मौहल्ला अफगानान कला कस्बा व थाना तीतरों जिला सहारनपुर सम्बन्धित न्यायलय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम सहारनपुर सम्बन्धित वाद स0 1845/2021 अ0सं0 03/2016 धारा 4/25 A ACT थाना तीतरों सहारनपुर न्यायलय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम सहारनपुर 2. नीलू पुत्र ओमपाल निवासी मौहल्ला कानूनगौयान कस्बा व थाना तीतरों जिला सहारनपुर सम्बन्धित न्यायलय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम सहारनपुर सम्बन्धित वाद स0 153/2022 अ0सं0 128/2021 धारा 323/324/504/506 IPC थाना तीतरों सहारनपुर न्यायलय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम सहारनपुर को कस्बा व थाना – तीतरों, जनपद सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार शुदा वारंटी अभियुक्तगण को समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा ।

गिरफ्तारशुदा वारण्टी अभियुक्तगण का नाम पता

1. राजेन्द्र पुत्र अतर सिंह निवासी मौहल्ला अफगानान कला कस्बा व थाना तीतरों जिला सहारनपुर
2. नीलू पुत्र ओमपाल निवासी मौहल्ला कानूनगौयान कस्बा व थाना तीतरों जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम

- (1) उ.नि. श्री अनिल कुमार थाना – तीतरों, जनपद – सहारनपुर
- (2) का. 2374 नीरज कुमार थाना – तीतरों, जनपद – सहारनपुर
- (3) का. 513 नितिन कुमार थाना – तीतरों, जनपद – सहारनपुर
- (4) का. 240 सोनू कुमार थाना – तीतरों, जनपद – सहारनपुर



दिनांक: 01-03-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़ पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार तथा नाजायज 18 बोतल देशी शराब चाली संतरा हरियाणा मार्का बरामद की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सहारनपुर द्वारा निर्गत आदेशो निर्देशों के अनुपालन में तथा क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में अवैध शराब की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत प्रभारी निरीक्षक श्री राजेन्द्र प्रसाद वशिष्ठ थाना नकुड़ के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड़ पुलिस द्वारा आज दिनांक 01.03.23 को गश्त व चैकिंग के दौरान एक अभि० इरफान पुत्र मौग्राम लतीफपुर थाना नकुड़ 0हसन नि 0 जनपद सहारनपुर को मय 18 बोतल देशी शराब चाली संतरा हरियाणा मार्का से गिरफ्तार किया गया। बरामदा नाजायज शराब के सम्बन्ध में थाना नकुड़ पर मु०अ०सं० 80/23 धारा 63 आबकारी अधि० बनाम इरफान उपरोक्त पंजीकृत किया गया। अभि० को मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. इरफान पुत्र मौ० हसन नि० ग्राम लतीफपुर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

बरामद सम्पत्ति का विवरण:-

1. 18 बोतल देशी शराब चाली संतरा हरियाणा मार्का

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्र०नि० श्री राजेन्द्र प्रसाद वशिष्ठ थाना नकुड़ सहारनपुर ।
2. 30नि० श्री सुनील कुमार थाना नकुड़ सहारनपुर ।
3. 30नि० श्री देवेश कुमार थाना नकुड़ सहारनपुर ।
4. का० 2238 मुकेश कुमार थाना नकुड़ सहारनपुर ।

प्रेस नोट दिनांक 01/03/23 थाना नकुड जनपद सहारनपुर

थाना नकुड पुलिस द्वारा एक वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सहारनपुर द्वारा निर्गत आदेशो निर्देशों के अनुपालन में तथा क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में वारण्टी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत प्रभारी निरीक्षक श्री राजेन्द्र प्रसाद वशिष्ठ थाना नकुड के कुशल नेतृत्व मे थाना नकुड पुलिस द्वारा दिनांक 28.02.23 को मा न्यायालय0अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय सहारनपुर के ST NO. 1097/ 22धारा /392411 भादवि मु107 0सं0अ0/ 11चालानी थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर मे एनबीडब्लू वारण्टी अमित उर्फ सोनू पुत्र श्याम लाल सैनी निग्राम मच्छरहेड़ी थाना नकुड जनपद सहारनपुर 0 को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। अभि0 को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. अमित उर्फ सोनू पुत्र श्याम लाल सैनी निरहेड़ी थाना नकुड जनपद सहारनपुरग्राम म 0

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्र0नि0 श्री राजेन्द्र प्रसाद वशिष्ठ थाना नकुड सहारनपुर ।
2. उ0नि0 श्री रविन्द्र कुमार थाना नकुड सहारनपुर ।
3. का0 326 रिंकू थाना नकुड सहारनपुर ।



दिनांक: 01-03-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना बिहारीगढ़, सहारनपुर पुलिस ने मे संदिग्धो/वांछितो/वाहन चोरो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल व 01 तमन्चा

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद सहारनपुर द्वारा निर्गत आदेशो निर्देशो के अनुपालन मे तथा क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण मे संदिग्धो/वांछितो/वाहन चोरो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थानाध्यक्ष श्री बीनू सिंह थाना बिहारीगढ़ के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 01.03.2023 को थाना बिहारीगढ़ पुलिस द्वारा अभि० सोनू उर्फ दिलशाद पुत्र नाजिम निवासी ग्राम कुरडीखेडा थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर को कुरडीखेडा पेट्रोल पम्प के पास मय 1 चोरी की मोटरसाइकिल व 1 अदद नाजायज तमन्चा के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 14/2023 धारा 414 भादवि व 15/2023 धारा 3/25 आयुध अधि० पंजीकृत किया गया। अभि० उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त का नाम व पता:-

सोनू उर्फ दिलशाद पुत्र नाजिम निवासी ग्राम कुरडीखेडा थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

3. 01 मोटरसाइकिल (अपाची)
4. एक अदद तमन्चा 315 बोर मय एक अदद जिन्दा कारतूस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी:-

1. थानाध्यक्ष श्री बीनू सिंह थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर ।
2. व०उ०नि० रामचरन सिंह थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर ।
3. उ०नि० श्री अरविन्द कुमार शर्मा थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर ।
4. का० 2036 हर्ष कुमार थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर ।
5. का० 1344 राहुल कुमार थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर ।
6. का० 2226 अमित कुमार थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर ।



दिनांक: 01-03-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा 50 लीटर शराब व शराब बनाने के उपकरण सहित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सहारनपुर द्वारा निर्गत आदेशो निर्देशो के अनुपालन में तथा क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में संदिग्ध व्यक्ति/वांछितो एवं अवैध नशे में लिप्त अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे चैकिंग अभियान के अन्तर्गत प्रभारी निरीक्षक जसबीर सिंह थाना गंगोह जिला सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में थाना गंगोह पुलिस टीम के द्वारा अभियुक्त कर्मसिंह उर्फ करमा पुत्र गुरदयाल निवासी बंजारा बस्ती ग्राम सांगाठेडा थाना गंगोह सहारनपुर को मय एक जरीकैन में 50 लीटर शराब खाम व शराब बनाने के उपकरण एक तसला लोहा, एक ड्रम, एक मिट्टी ढक्कन जिसमें प्लास्टिक का पाईप लगा एवं एक मिट्टी का तसला सहित बंजारा बस्ती से आगे गाँव सांगाठेडा थाना गंगोह जिला सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के जुर्म के सम्बन्ध में थाना गंगोह पर मु0अ0सं0 57/2023 धारा 60(2) Ex. Act पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त को मा0 न्यायालय पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त का नाम व पता:-

कर्मसिंह उर्फ करमा पुत्र गुरदयाल निवासी बंजारा बस्ती ग्राम सांगाठेडा थाना गंगोह सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

एक जरीकैन में 50 लीटर शराब खाम व शराब बनाने के उपकरण एक तसला लोहा, एक ड्रम, एक मिट्टी ढक्कन जिसमें प्लास्टिक का पाईप लगा एवं एक मिट्टी का तसला

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी:-

- 1..३0नि0 योगेन्द्र अधाना, थाना गंगोह जिला सहारनपुर ।
- 2.३0नि0 नरेन्द्र भडाना, थाना गंगोह जिला सहारनपुर ।
- 3.हे.का.494 योगेश कुमार, थाना गंगोह जिला सहारनपुर ।
- 4.का0 1059 अनुज राणा, थाना गंगोह जिला सहारनपुर ।
- 5.का0 2331 लवलेश राठी, थाना गंगोह जिला सहारनपुर ।